

संविदा की सामान्य शर्तें / GENERAL CONDITION OF CONTRACT (GCC)

1.1 इस संविदा में निम्नलिखित शब्दों को निम्नानुसार निर्वचित किया जाएगा / In this contract the following terms shall be interpreted as indicated:

- (क) "आई एफ बी" का अर्थ है—बोलियों का आमंत्रण। / "IFB" means Invitations for Bids .
- (ख) "आई टी बी" का अर्थ है—बोलीदाताओं के लिए अनुदेश / "ITB" means instruction to Bidders.
- (ग) "जी सी सी का अर्थ है—संविदा की सामान्य शर्तें। / "GCC" means General Condition of Contract.
- (घ) "आर सी" का अर्थ है—दर संविदा। / "RC" means Rate Contract.
- (ङ) "संविदा का अर्थ है—क्रेता और पूर्तिकार द्वारा हस्ताक्षरित कराने में यथा अभिलिखित उनके बीच हुए विधिक करार से है इसके सभी संलग्नक एवं परिशिष्ट और इसमें संदर्भ द्वारा सम्मिलित सभी दस्तावेज शामिल है। / "Contract" means a legal agreement entered into between the purchaser and the supplier, as recorded in the agreements signed by the parties, including all attachments and appendices thereto and all documents incorporated by reference therein.
- (च) "संविदा कीमत" का अर्थ है—संविदात्मक बाध्यता का पूर्ण एवं उचित रूप से पालन करने के लिए संविदा के अन्तर्गत पूर्तिकरता को देय कीमत। / "Contract Price" means the price payable to the supplier under a contract for the full and proper performance of the contractual obligations.
- (छ) "माल" का अर्थ है—सभी मद सामाग्री उपस्कर एवं/या मशीनरी, जो संविदा की शर्तें में पूर्तिकार, क्रेता को आपूर्ति करेगा। / "Goods" means all the items, materials, equipment and/or machinery, which the supplier is required to supply to the purchaser in terms of a contract.
- (ज) "सेवाओं" का अर्थ है—माल की आपूर्ति से संबंधित सेवाओं, जैसे परिवहन एवं बीमा और अन्य आनुषंगिक सेवाएं जैसे प्रतिष्ठापन, प्रर्सन तकनीकी सहायता का प्रावाधान प्रशिक्षण, एवं पूर्तिकार की ऐसी अन्य बाध्यता जो इस संविदा के अंतर्गत आती हो। / "Services" means the services ancillary to the supply of the goods, such as transportation and insurance and as any other incidental services, such as installation, commissioning, provision of technical assistance, training and other such obligation of the supplier covered under a contract.
- (झ) "क्रेता का अर्थ है, बोली संबंधी दस्तावेज एवं तदानुसार संविदा में दिए गए खरीरदार का नाम जो आदेश माल खरीदार शामिल है। एवं इसमें इसके उत्तराधिकारी और/या समनुदेशिती। / "Purchaser" means the buyer named in a bidding document and in the corresponding contract, purchasing the goods orders and includes its successors and /or assignees.
- (ञ) "प्रेषिती" का अर्थ उस व्यक्ति या संस्था से है जो संविदा में शामिल निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संविदा किए गए माल की सुपुर्दगी करता हो। / "Consignee" means the individual or body to whom the

contracted goods are required to be delivered as per the terms and conditions incorporated in a contract.

- (ट) "पूर्तिकार" का अर्थ उस व्यक्ति या संस्था से है जो संविदा के अंतर्गत माल की आपूर्ति करता, इसमें उसके उत्तराधिकारी एवं/या समनुदेशिनी भी शामिल है।/"Supplier" means the individual or firm supplying the goods under a contract and includes its successor and /assignees.
- (ठ) "दिन" का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के कैलेंडर दिन से है।/"Day" means calendar day of the Gregorian Calendar
- (ड) "मास" का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के मास से है।/"Month" means calendar month of the Gregorian Calendar

2. लागू ढाँचा / Application

- 2.1 ये संविदा की सामान्य शर्तें (इस खण्ड में दिए गए अनुसार) उस सीमा तक लागू होगी जब तक ये संविदा के अन्य भागों में दिए गए प्रावधानों का अधिक्रमण नहीं करती।/These general conditions of contract (as contained in this section) shall apply to the extent they are not superseded by provisions in other parts of the contract.

3. उद्भव देश / Country of origin

- 3.1 संविदा के अन्तर्गत आपूर्तित सभी माल एवं सेवाओं का उद्भव भारत में या ऐसे देशों में होना चाहिए जिनके साथ भारत सरकार के व्यापारिक संबंध है।/All goods and services supplied under the contract shall have their origin in India or in the countries, with which the Government of India has trade relations.
- 3.2 इस खण्ड के उद्देश्य के लिए, "उद्भव" का उस स्थान से है जहां माल को खान से बाहर निकाला जाता है, तैयार या उत्पादित किया जाता है या जहां से सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। निर्माण, संवर्धन एवं घटकों के महत्वपूर्ण या वृद्ध संयोजन के द्वारा मात्र उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार बना व्यवसायिक मान्य नया उत्पादन, इसके आधारिक गणों में या उद्देश्य या उपयोगिता में इसके घटकों से पर्याप्त भिन्न होता।/For purposes of this clause, "origin" means the place where the goods are mined, grown or produced or from which the services are supplied. Goods are produced when, through manufacturing, processing and substantial or major assembling of components, a commercially recognized new product results that is substantially different in basic characteristics or in purpose or utility from its components.
- 3.3 माल एवं सेवाओं का उद्भव, पूर्तिकार की राष्ट्रियता से अलग होता है।/The origin of goods and services is distinct from the nationality of the supplier.

1. मानक / Standard

4.1 इस संविदा के अंतर्गत आपूर्तित मान "तकनीकी विनिर्देशनों" में उल्लिखित मानकों के अनुरूप होने चाहिए एवं यदि किसी कोई का उल्लेख नहीं किया गया है मानक माल को इसके उद्भव-के देश में लागू नवीनतम अधिकृत मानकों के अनुरूप होना चाहिए।/ The goods supplied under this contract shall conform to the standards mentioned in the 'Technical Specifications' and when no applicable standard is mentioned, to the latest authoritative standard as applicable to the goods' country of origin.

5. संविदा संबंधी दस्तावेज एवं सूचना का उपयोग / Use of contract documents and information

5.1 पूर्तिकार, क्रेता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना संविदा या इसके किसी उपबंध या इसके साथ संबंधित क्रेता या उसकी ओर से दिए गए किसी विनिर्देशन, योजना आरेखण, पैटर्न नमूना या सूचना, का खुलासा इस संविदा के निष्पादन में नियुक्त अपने किसी कर्मचारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं करेगा। यह भी कि इसके लिए नियुक्त कर्मचारी को इसकी सूचना पूरी गोपनीयता से दी जाएगी एवं केवल उस सीमा तक इसका खुलासा किया जाएगा। जो ऐसे निष्पादन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।/ The supplier shall not, without the purchaser's prior written consent, disclose the contract or any provision there of or any specification, plan, drawing, pattern, sample or information furnished by or on behalf of the purchaser in connection herewith, to any person other than a person employed by the supplier in the performance of the contract. Also, disclosure to any such employed person shall be made in confidence and shall extend only so far as may be necessary for the purposes such performance.

5.2 क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्तिकार संविदा के पालन के उद्देश्य के अलावा संविदा की सामान्य शर्तों (जी सी सी) के उप खण्ड 5.1 में दिए गए किसी दस्तावेज क्रेता की संपत्ति रहेगे एवं संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार द्वारा निष्पादन या सूचना का उपयोग नहीं करेगा।/ The supplier shall not, without the purchaser's prior written consent, make use of any document or information enumerated in GCC sub-clause 5.1 except for the purposes of performing the contract.

5.3 संविदा की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के उप खण्ड 5.1 में उल्लिखित संविदा को छोड़कर सभी दस्तावेज क्रेता की समाप्ति पर क्रेता को लौटा (सभी प्रतियों में) जाएंगे यदि क्रेता को इनकी जरूरत हो।/ Every document other than the contract itself, mentioned in GCC sub clause 5.1, shall remain the property of the purchaser and shall be returned (in all copies) to the purchaser on completion of the supplier's performance under the contract, if so required by the purchaser.

6. एकस्व (पेटेंट) अधिकार / Patent rights

6.1 पूर्तिकार माल का या इसके किसी भाग का भारत में उपयोग करने से पेटेंट के अतिलंधन, ट्रेड मार्क या औद्योगिक डिजाइन के अधिकार के विरुद्ध उत्पन्न तीसरी पार्टी के सभी दावे की क्षतिपूर्ति बिना किसी लागत के क्रेता को करेगा। / The supplier shall at all times indemnify the purchaser, free of cost, against all third-party claims of infringement of patent, trade mark or industrial design rights arising from use of the goods or any part thereof in India.

7. निष्पादन प्रतिभूमि / Performance security

7.1 क्रेता द्वारा संविदा देने संबंधी जारी करने के बाद 21 (इक्कीस) दिनों बाद के अन्दर पूर्तिकार संविदा मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) बराबर राशि की निष्पादन प्रतिभूमि क्रेता को देगा जो पूर्तिकता द्वारा संविदा गत दायित्वों को पूरा करने की तारीख के बाद 60 (साठ) दिनों तक वैध रहेगी, इसमें वारंटी वाध्यता भी शामिल है। / Within 21 (twenty one) days after the issue of notification of award by the purchaser, the supplier, shall furnish performance security to the purchaser for an amount of 10% (ten percent) of the contract value, valid up to 60 (sixty) days after the date of completion of all contractual obligations by the supplier, including the warranty obligations.

7.2 वारंटी अवधि के दौरान दोषपूर्ण वस्तु के प्रतिस्थापन या दोषों के सुधार के मामले में सुधारी गई / प्रतिस्थापित वस्तु के लिए वारंटी सुधार / प्रतिस्थापित की तारीख से अगले बारह माह की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी एवं अनुपातिक मूल्य के लिए निष्पादन प्रतिभूमि (जो कि पूर्तिकार की सलाह से क्रेता द्वारा निर्धारित की जाएगी) उपरोक्ता बढ़ी हुई वारंटी अवधि के बाद 60 दिनों के लिए तक बढ़ा दी जाएगी। / In the event of any correction of defects or a replacement of defective material during the warranty period, the warranty for the corrected/replaced material shall be extended to a further period of twelve months from the date of the correction/replacement and the Performance Security for the proportionate value (which will be determined by the purchaser in consultation with the supplier) shall be extended by 60 (sixty) days over and above the extended warranty period.

7.3 संविदा में किसी संशोधन के मामले में, ऐसे संशोधन में ऐसे संशोधन के जारी होने की तारीख जारी होने की तारीख के 21 (इक्कीस) दिनों के अंदर पूर्तिकार निष्पादन प्रतिभूमि में ऐसे आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करेगा जो संशोधन के अनुसार संविदा के निबंधनों में सभी तरह से वैधता प्रदान करती हो। / In the event of any contract amendment, the supplier shall, within 21 (twenty one) days of issue of such amendment, furnish the necessary amendment to the Performance Security, rendering the same valid in all respects in terms of the contract, as amended.

- 7.4 संविदा के अंतर्गत इसकी किसी बाध्यता को पूरा करने में असफल होने के कारण हुए किसी नुकसान के लिए निष्पादन प्रतिभूति का आगम क्षति पूर्ति के रूप में क्रेता को देय होगा।/The proceeds of the Performance Security shall be payable to the purchaser as compensation for any loss resulting from the supplier's failure to complete its obligations under the contract.
- 7.5 निष्पादन प्रतिभूति भारतीय रूपये या संविदा की मुद्रा में होगी एवं निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में होगा।/The Performance Security shall be denominated in Indian Rupees or in the currency of the contract and shall be in one of the following forms:
- (क) भारतीय रूपये में नकद/Cash in Indian currency.
- (ख) आवश्यकता अनुसूची में दर्शाए अनुसार भारत में किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो क्रेता के पक्ष में देय हों।/Demand Draft on any scheduled commercial bank in India, to be drawn in favour of the purchaser as indicated in the Schedule of Requirements.
- (ग) बोली संबंधी दस्तावेजों के खण्ड VII/4 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में, भारत के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी।/Bank Guarantee issued by a scheduled commercial bank in India, in the prescribed form as provided in section VII/4 of this bidding documents
- 7.6 संविदा की सामान्य शर्तों के उपर्युक्त उप-खण्ड 7.4 के अधीन संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार की संविदा बाध्यता वारंटी बाध्यताओं के साथ पूरी होने पर, निष्पादन प्रति भूमि, क्रेता द्वारा विमुक्त कर दी जाएगी एवं पूर्तिकार को लौटा दी जाएगी।/Subject to GCC sub- clause 7.4 above, the performance security will be discharged by the purchaser and returned to the supplier on completion of the supplier's contractual obligations including the warranty obligations under the contract.

8. निरीक्षण या परीक्षण / Inspection and testes

- 8.1 क्रेता एवं/या इसके नामित प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को अधिकार होगा कि वह क्रेता पर बिना किसी अतिरिक्त लागत, संविदा में शामिल संविदा विनिर्देशन एवं अन्य तकनीकी विवरणों के प्रति माल की पुष्टि के मान एवं परीक्षण एवं/या परीक्षण कर सकता है। बोली संबंधी दस्तावेज में शामिल आवश्यकता अनुसूची एवं तकनीकी विनिर्देशन में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाएगा विक्रेता को किन परीक्षणों एवं निरीक्षणों की आवश्यकता है एवं वे कहां और कैसे किए जाएंगे। क्रेता, पूर्व में पूर्तिकार को लिखित में इस उद्देश्य के लिए प्रतिविधि (प्रतिनिधियों) के चयन की सूचना देगा।/The purchaser and or its nominated representative (s) shall have the right to inspect and/or to test the goods to confirm their conformity to the contract specification and other technical details incorporated in the contract at no extra cost to the purchaser. The schedule of Requirements and the Technical Specification,

incorporated in the bidding document, shall specify what inspections and tests, the purchaser requires and where and how they are to be conducted. The purchaser shall notify, in advance, the supplier (itf-keidentity of any representative (s) for this purpose.

- 8.2 माल का निरीक्षण एवं परीक्षण सुपुर्दगी स्थान पर एवं/या माल के अंतिम गतव्य स्थल पर पूर्तिकार या इसके उप-संविदाकार (उप-संविदाकारों) के परिसर में किया जा सकता है। यदि यह पूर्तिकार या इसके उप-संविदाकार (उप-संविदाकारों) के परिसर में किया जाना है, तो क्रेता पर कोई शुल्क लगाए बिना, संबंधित ड्राइंग, डिजाइन, विवरण एवं उत्पादन आंकड़ों के साथ सभी उचित सुविधाएँ एवं, सहायता निरीक्षण को क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।/The inspections and tests may be conducted on the premises of the supplier or its subcontractor(s), at the point of delivery and/or at the goods' final destination. If conducted on the premises of the supplier or its subcontractor (s), all reasonable facilities and assistance, including access to relevant drawings, design details and production data, shall be furnished by the supplier to the inspectors at no charge to the purchaser.
- 8.3 यदि निरीक्षण या परीक्षण के बाद कोई माल अपेक्षित विनिर्देशन एवं मानकों की पुष्टि करने में असफल हो जाता है। तो क्रेता उसे अस्वीकार कर सकता है एवं पूर्तिकार क्रेता पर बिना या तो अस्वीकृत माल को प्रतिस्थापित करेगा या अपेक्षा अनुसार, विनिर्देशन एवं मानकों को पूरा करने के लिए इस माल में आवश्यक परिवर्तन करेगा। पूर्तिकार अब इस माल को पुनः निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए क्रेता को पुनः प्रस्तुत करेगा।/Should any inspected or tested goods fail to conform to the required specifications and standards, the purchaser may reject them and the supplier shall either replace the rejected goods or make all alterations necessary to meet the specifications and standards, as required, free of cost to the purchaser and resubmit the same to the purchaser for conducting the inspections and tests again.
- 8.4 यदि निरीक्षक या परीक्षण के बाद कोई माल अपेक्षित विनिर्देशन एवं मानकों की पुष्टि करने में असफल हो जाता है तो क्रेता उसे अस्वीकार कर सकता है एवं पूर्तिकार क्रेता पर बिना किसी लागत के या तो अध्वीकृत माल को प्रतिस्थापित करेगा या अपेक्षा अनुसार विनिर्देशन एवं मानकों को पूरा करने के लिए इस माल में आवश्यक परिवर्तन करेगा पूर्तिकार अब इस माल को पुनः निरीक्षण के लिए क्रेता को पुनः प्रस्तुत करेगा।/Where the contract stipulates pre-despatch inspection by the purchaser's nominated inspecting agency, the supplier shall put up the goods for inspection to the inspecting agency well ahead of time so that the inspecting agency is able to complete the inspection within the stipulated delivery period. If the goods are tendered for inspection at the as moment without providing reasonable time to the inspection agency for completing the inspection, the inspecting agency may carry out the inspection and complete the formality beyond the contractual delivery period at the risk and expense of the supplier. The fact that the items have been inspected after the contractual

delivery period will not have the effect of keeping the contract alive and this will be without any prejudice to the legal rights and remedies available to the purchaser under the terms & conditions of the contract.

8.5 यदि संविदा में क्रेता द्वारा नामित किसी निरीक्षण एजेंसी द्वारा पूर्व –प्रेषक जांच का प्रवाधान हो तो पूर्तिकार समय से बहुत पहले, माल को निरीक्षण एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिससे निरीक्षण एजेंसी निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के अंदर निरीक्षण पूरा काने में सक्षम हों। यदि निरीक्षण एजेंसी को निरीक्षण करने के लिए उचित समय न देते हुए माल को अंतिम समय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो निरीक्षण एजेंसी पूर्तिकार के जोखिम एवं खर्च पर संविदा बात सुपुर्दगी अवधि के पर निरीक्षण एवं औचारिकता पूरी कर सकती है। मर्दों का संविदा बात सुपुर्दगी अवधि के बाद निरीक्षण किये जाने का संविदा को जीवित रखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं यह संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अधीन क्रेता को उपलब्ध कानूनी अधिकारों एवं उपचारों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले होगा।/The purchaser's right to inspect, test, and where necessary, reject the goods after the goods' arrival at the final destination shall in no way be limited or waived by reason of the goods having previously been inspected, tested and passed by purchaser or its representatives prior to the dispatch of the goods from the country of origin or from the supplier's premises.

8.6. संविदा की सामान्य शर्तों (जी. सी. सी.) के खण्ड 8 का कोई भी भाग किसी भी प्रकार संविदा के अंतर्गत किसी भी वारंटी या अन्य बाध्यता से पूर्तिकार को मुक्त नहीं करेगा।/Nothing in GCC clause 8 shall, in any way, release the supplier from any warranty or other obligations under the contract.

9. पैक करना/Packing

9.1 संविदा में यथा उल्लिखित, माल को उसके अंतिम गतव्य तक पहुंचाने में परिवर्तन के दौरान होने वाली क्षति या खराबी से उसे बचाने के लिए पूर्तिकार द्वारा आवश्यकतानुसार माल के पैकिंग की व्यवस्था की जाएगी/माल की इस प्रकार पैक किया जाएगा कि इसकी उठाई-धराई एवं अत्यधिक तापमान आद्र मौसम एवं परिवहन के दौरान एवं खुले संग्रहण को बिना किसी सीमा तक इसकी कोई क्षति न पहुंचे तथा बिना किसी सीमा तक उपर्युक्त पैकिंग के डब्बो के आकार एवं भार का भी ध्यान रखा जाएगा, एवं जहां लागू हो परिवहन में सभी स्थान पर भारत में अंतर्देशीय परिवहन की उपलब्धता, माल के दूर अंतिम गतव्य स्थल पर पहुँचने एवं अच्छी उठाई गई सुविधाओं पर भी विचार किया जाएगा। आगे भी, यदि पैक किए गए माल के भार, मात्रा एवं आकार में कोई सीमा या आज्ञापक निदेश हो तो वह भी पूर्तिकार द्वारा संचालित किए जाएंगे।/The supplier shall provide such packing of the goods as is required to prevent their damage or deterioration during their transit to their final destination as indicated in the contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling

and exposure to extreme temperatures, humid weather and precipitation during transit and open shortage. The sizes and weights of the packing cases shall also take into consideration, where applicable, the available inland mode(s) of transport in India, the remoteness of the goods' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit. Further, limitations and /or mandatory instructions, if any in the weight, volumes and sizes of the packages shall also be taken care of by the supplier.

9.2 पैकिंग, पैकेज के अंदर एवं बाहर चिन्हनाकन एवं प्रलेखिकरण कठोरता से उन विशिष्ट अपेक्षाओं का पालन करेगे जो संविदा में इसके लिए दिए जाएंगे, साथ ही ये आवश्यकताओं की अनुसूची में दी गई अतिरिक्त अपेक्षाओं, यदि कोई हो तो एवं क्रेता द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निदेशों का भी पालन करेगें।/The packing marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements if any as shall be expressly provided for in the contract, including additional requirements, if any, specified in the Schedule of Requirements and any subsequent instructions given by the purchaser.

10. पैकिंग संबंधी निदेश / Packing instruction

9.3 पूर्तिकार को संविदा में नामित प्रत्येक प्रेषिती के लिए अलग-अलग पैकेज बनाना होगा। प्रत्येक पैकेज पूर्तिकार द्वारा इसके स्वयं के रक्चों पर अमित स्याही पेंट के साथ इसके तीनों ओर, निम्नलिखित विवरणों के साथ चिहिनत किए जाएगें।/The supplier will be required to make separate packages for each consignee named in the contract. Each package will be marked by the supplier at its own expense, on three sides with indelible ink/paint, with the following details:

(क) संविदा संख्या एवं तारीख।/Contract No, and date

(ख) पे्षिती का नाम एवं पता /Name and address of the consignee

(ग) पूर्तिकार का नाम एवं पता।/Name and address of the supplier

(ध) माल का संक्षिप्त विवरण।/Brief description of goods

(ड) पैकेज का कुल भार एवं बाहरी विस्तार।/Gross weight and outer dimension of the package

(च) माल के उद्भव का देश।/Country of origin of goods

(छ) पैकिंग सूची संदर्भ संख्या /Packing list reference No.and

(ज) संविदा से संबंधित कुछ अन्य आवश्यकताएँ।/And any other requirement, relevant to the contract.

10. माल की सुपुर्दगी / Delivery of goods

10.1 माल की सुपुर्दगी पूर्तिकार द्वारा संविदा देने की अधिसूचना एवं संविदा में क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की जाएगी।/Delivery of the goods shall be made by the supplier in accordance with the terms specified by the purchaser in the notification of award and in the contract.

10.2 संविदा के प्रयोजनार्थ पाटियों की बाध्यता का विवरण करने में उपयोग होने वाले व्यवसायिक शब्द जैसे—“एफ ओ वी” “सी आई एफ” “ सी आई पी ” एवं अन्य शब्दों का अर्थ “इन्कोटर्म” के वर्तमान प्रकाशन में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय वणिज्य परिषद, पेरिस, फ्रांस द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शिपिंग शब्द है।/For the purposes of the contract, “FOB”, “CIF”, “CIP” and other trade terms used in describe the obligations of the parties shall have the meanings assigned to them in the current edition of “Incoterms” which are international commercial shipping terms, published by International Chamber of commerce, Paris, France.

11. परिवहन / Transportation

11.1 जहां संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार को माल की पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफ.ओ.बी.) सुपुर्दगी करना है, वहां विनिर्दिष्ट लदाई पत्तन पर पोत में माल को चढ़ाने वाले स्थान तक एवं उस स्थान के साथ, माल के परिवहन की व्यवस्था एवं इसका भुगतान पूर्तिकार द्वारा किया जाएगा एवं इसकी लागत को संविदा मूल्य में जो दिया जाएगा।/Where the supplier is required under the contract to deliver the goods F.O.B., transportation of the goods, up to and including, the point of putting the goods on board the vessel at the specified port of loading, shall be arranged and paid for by the supplier and the cost there of shall be included in the contract price.

11.2 जहां पूर्तिकता को, संविदा के अंतर्गत माल की सुपुर्दगी सी. आई. एफ. या सी. आई. पी. फ सुपुर्दगी करना है वहां भारत में ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट गंतव्य स्थान के गंतव्य पोत तक जैसा संविदा में उल्लेख किया जाएगा, माल के परिवहन की व्यवस्था एवं इसके लिए भुगतान की व्यवस्था पूर्तिकर्ता द्वारा की जाएगी एवं इसके लागत को संविदा मूल्य में जोड़ दिया जाएगा।/Where the supplier is required under the contract to deliver the goods C.I.F. or C.I.P., transportation of the goods to the port of destination of such other specified place of destination in India, as shall be mentioned in the contract, shall be arranged and paid for by the supplier and the cost there of shall be included in the contract price.

11.3 जहां पूर्तिकार को संविदा के अंतर्गत भारत के अंदर माल की सी. आई. एफ. या जी. आई. पी. सुपुर्दगी करना है, वहां पूर्तिकार भारतीय ध्वज वाले पोतों या उस कान्फरेंस लाइन, जिसका भारत एक सदस्य है, के पोतों के माध्यम से समुन्द्री परिवहन की व्यवस्था करेगा पूर्तिकार को संविदा के अंतर्गत माल की पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफ ओ बी) सुपुर्दगी करना है एवं क्रेता की ओर से एवं उसके खर्चे पर भारतीय समुन्द्री

परिवहन के लिए भारतीय ध्वज वाले पोतों या उस कान्फरेंस लाइन के पोतों जिसका भारत एक सदस्य देश है की भी व्यवस्था करना है, वहां यदि संविदा में विनिर्दिष्ट समय-ढांचे के अंदर माल के परिवहन के लिए भारतीय ध्वज वाले पोत या कान्फरेंस लाइन के पोत उपलब्ध नहीं है तो पूर्तिकता ऐसे परिवहन के लिए वैकल्पिक वाहकों की भी व्यवस्था कर सकता है। यद्यपि, ऐसे वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था करने से पहले पूर्तिकार को इसके लिए क्रेता से पूर्व सहमति लेनी होगी।/Where the supplier is required under the contract to deliver the goods C.I.F. or GIP within India, the supplier shall arrange the shipment by Indian flag vessels or vessels belonging to Conference Lines in which India is a member. Where the supplier is required under the contract to deliver the goods F.O.B. and also to arrange on behalf and at the expense of the purchaser for ocean transportation of Indian flag vessels or vessels of Conference Lines in which India is a member country, the supplier may arrange for such transportation on alternative carriers also, if the Indian flag vessels or Conference Line vessels are not available to transport the goods within the time frame specified in the contract. However, before arranging such alternation transportation, the supplier shall obtain prior concurrence of the purchaser for the same.

11.4 पूर्तिकार क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना समुद्री परिवहन एवं/या पोतांतरण की व्यवस्था अलग-अलग भाग में नहीं करेगा। यदि पूर्तिकार पूर्व उल्लेखित निदेशों का उल्लघन करता है तो सभी परिणामों (जिसमें वित्तीय हानि भी शामिल है।), जो ऐसे उल्लघन के कारण क्रेता को हो सकते हैं, के लिए पूर्तिकार उत्तरदायी होगा।/The supplier shall not arrange part-shipments and/or transshipment without the prior written consent of the purchaser. In case the supplier violates any of the aforementioned instructions, the supplier shall be liable for all consequences (including financial loss) that the purchaser may face due to the such violations.

12. बीमा / Insurance

12.1 संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले माल को नीचे इर्शाए गए खण्ड (अर्थात, जी. सी. सी. के खण्ड 12) के अनुसार विनिर्माण या अर्जन, परिवहन, संग्रहण एवं सुपुर्दगी से संबंधित होने वाली हानि या क्षति के लिए किसी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में पूर्ण वीमाकृत होना चाहिए।/The goods supplied under the contract, shall be fully insured in a freely convertible currency against loss or damage incidental to manufacture or acquisition, transportation, storage and delivery as indicated below in the clause (viz. GCC clause 12).

12.2 यदि सी. आई. एफ. या सी. आई. पी. आधार पर क्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी की जानी है, तो पूर्तिकार हितग्राही के रूप में क्रेता को नामित करते हुए जहाजी माल के बीमा की एवं इसके भुगतान की व्यवस्था

करेगा। यदि पोत पर्यंत निःशुल्क (एफ.ओ. बी.) आधार पर माल की सुपुर्दगी की जानी है, तो माल की बीमा का उत्तदायित्व क्रेता का होगा।/Where delivery of the goods is required by the purchaser on C.I.F. or C.I.P. basis, the supplier shall arrange and pay for the cargo insurance, naming the purchaser as the beneficiary. Where delivery is on F.O.B. basis, the insurance shall be the responsibility of the purchaser.

- 12.3 सी.आई.एफ. या सी.आई.पी. आधार पर संविदा के मामले में युद्ध संबंधी जोखिमों एवं हड़तालों को शामिल करते हुए “सभी जोखिम” के आधार पर गोदाय से (अंतिम गतव्य 2—यान) तक माल के सी. आई. एफ. या सी. आई. पी. मूल्य के 110% (एक सौ दस प्रतिशत) के बराबर की राशि के लिए बीमा किया जाएगा।/In the case of contract on C.I.F. or C.I.P. basis, the insurance shall be for an amount equal to 110% (one hundred and ten per cent) of the CIF or CIP value of the goods from “warehouse to warehouse” (final destination) on “all risk” basis including war risks and strikes.

13. प्रेषण दस्तावेजों का वितरण/**Distribution of dispatch documents**

- 13.1 क्रेता एवं/या इसके द्वारा नामित प्राधिकारियों को माल स्वीकार करने संबंधी स्पष्ट निर्णय देने और/सहमत कराने कराने के लिए पूर्तिकार द्वारा दिए जाने वाले शिपिंग एवं अन्य दस्तावेज तथा प्रेषक विवरण, आवश्यकताओं की अनुसूची में और संविदा में एवं इसी के अधीन यथा विनिर्दिष्ट माल प्रेषण के साधन एवं सुपुर्दगी की शर्तों पर निर्भर होंगे, इस संबंध में निम्नलिखित निदेश होंगे।/The shipping and other documents as well as dispatch details to be furnished by the supplier to the purchaser and/or to the purchaser’s nominated authorities to enable the purchaser and/or its nominated authorities to clear and/or accept the goods will depend on the mode of dispatch of the goods and the terms of delivery, as specified in the Schedule of Requirements and in the contract and, subject to the same, the instructions in this regard will be as indicated below :-

(क) विदेशो से आपूर्ति किए गए माल के लिए:/For goods supplied from abroad:

लदाई के 24 घंटे के अन्दर पूर्तिकार क्रेता एवं इसके नामित प्राधिकारियों (जैसे संविदा में विनिर्दिष्ट है) एवं बीमा कंपनी को केवल या टेलेक्स या फैक्स के द्वारा, संविदा संख्या, माल का विवरण, मात्रा, पोत, जहाजी माल संख्या का बिल एवं तारीख/वायुमार्ग बिल संख्या एवं तारीख, लदान पतन्त, लदाई की तारीख उतराई—पत्तन प्रवेश पत्तन पर पहुँचने की अनुमानित तारीख आदि के साथ लदाई के पूर्ण विवरण की सूचना देगा। इसके बाद पूर्तिकार तत्काल पंजीकृत वायु—डाक के द्वारा उपर्युक्त प्राधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रतियों की विनिर्दिष्ट संख्या भेजेगा।/Within 24 hours of shipment, the supplier shall notify the purchaser and its nominated authorities (as specified in the

contract and the insurance company by cable or telex or fax, the full details of the shipment including contract number, description of goods, quantity, the vessel, the bill of lading number and date airway bill number and date, port of loading, date of shipment, port of discharge, expected date of arrival at the port of entry etc. Further, the supplier shall also immediately dispatch by registered air-mail the specified number of copies of the following documents to the above authorities:

- (I) संविदा संख्या, माल का विवरण, माला, यूनिट कीमत एवं कुल राशि दशाता हुआ पूर्तिकार का बीजक।/Supplier's invoice showing contract number, description of goods, quantity, unit price and total amount.
- (II) पर क्राम्य की मूल प्रति एवं इसकी पतियां, स्पष्ट फलक पर वहन-पत्र जिस पर भुगतान किया जाने वाला भाड़ा चिन्हित हो एवं गैर-पर क्राम्य की प्रतियां, वहन पत्र/ Original and copies of the negotiable, clean, on-board bill of lading marked freight to pay and copies of non-negotiable, bill of lading
- (III) प्रत्येक पैकेज की वस्तुओं की पहचान बनाने वाले पैकिंग सूचि की प्रतियां।/Copies of packing list identifying the contents of each package;
- (IV) बीमा प्रमाण पत्र/ Insurance certificate;
- (V) विनिर्माता/पूर्तिकार का वारंटी प्रमाण पत्र/Manufacturer's/Supplier's warranty certificate;
- (VI) क्रेता द्वारा नामित निरीक्षण एजेंसी (यदि ऐसा विनिर्दिष्ट हो) द्वारा जारी पूर्व-प्रेषण निरीक्षण प्रमाण-पत्र एवं पूर्तिकार द्वारा कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट एवं/Pre-dispatch inspection certificate issued by the purchaser's nominated inspection agency (if so specified) and the supplier's factory inspection report; and

(VII) **उदभव प्रमाण-पत्र / Certificate of origin**

उपर्युक्त दस्तावेज क्रेता द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित अन्य अधिकारियों द्वारा माल के पत्तन पर या पहुँचने के स्थान पर पहुँचने के कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त कर लिये जाएंगे एवं यदि ऐसा नहीं किया जाता तो किसी भी परिणामी खर्च के लिए पूर्तिकार उत्तरदायी होगा।/The above documents shall be received by the purchaser and other authorities mentioned above at least one week before the arrival of goods at port or place of arrival and, if not received, the supplier will responsible for any consequent expenses.

- (ख) भारत से आपूर्ति किए गए माल/For goods supplied from within India:

माल को भेजने के 24 घंटों के अंदर पूर्तिकार, क्रेता एवं/या इसके द्वारा नामित प्राधिकारियों (जैसे संविदा में विनिर्दिष्ट है) एवं बीमा कंपनी को संपूर्ण प्रेषण विवरण की सूचना देगा। पूर्तिकार उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों की विनिर्दिष्ट संख्या भी भेजेगा / Within 24 hours of despatch of the goods, the supplier shall notify the complete despatch details to the purchaser and/or the purchaser's nominated authorities (as specified in the contract) and the insurance company. The supplier shall also mail the specified number of copies of the following documents to them:

- (I) संविदा संख्या, माल का विवरण, मात्रा यूनिट कीमत एवं कुल राशि दर्शाता हुआ पूर्तिकार का वीजक / The supplier's invoice showing contract number, description of goods, quantity, unit price and the total amount;
- (II) रेलवे की आवती या सुपुर्दगी टिप्पणी / Railway receipt or Delivery note;
- (III) प्रत्येक पैकेज की वस्तुओं का पहचान बनाने वाली पैकेज सूची / Packing list identifying contents of each package;
- (IV) बीमा प्रमाण पत्र / Insurance certificate;
- (V) विनिर्माता / पूर्तिकार का वारंटी प्रमाण पत्र / Manufacturer's/Supplier's warranty certificate;
- (VI) क्रेता द्वारा नामित निरीक्षण एजेंसी (ऐसा यदि विनिर्दिष्ट हो) द्वारा जारी पूर्व-प्रेषक निरीक्षण प्रमाण एवं पूर्तिकार की कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट / Pre-despatch inspection certificate issued by the purchaser's nominated inspection agency (is so specified) and the supplier's factory inspection report; and
- (VII) **उदभव प्रमाण पत्र / Certificate of origin**

क्रेता माल के पहुँचाने के कम से कम एक सप्ताह पहले इन दस्तावेजों को प्राप्त करेगा (जहां इसे प्रेषिती को सभी दस्तावेजों के साथ सौंपना है, उसे छोड़कर) एवं यदि क्रेता इन दस्तावेजों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो किसी भी परिणामी खर्च के लिए पूर्तिकार उत्तरदायी होगा। / The purchaser shall receive the documents at least one week before the arrival of the goods (except where it is handed over to the consignee with all the documents) and if not received, the supplier will be responsible for any consequent expenses.

भुगतान के दावे के लिए पूर्तिकार द्वारा दिए जाने वाले दस्तावेज संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 17 ("भुगतान") में विनिर्दिष्ट है। / The documents to be provided by the supplier for claiming payment are specified in GCC clause 17 ("Payment").

14 **आनुषंगिक सेवाएं / Incidental services**

14.1 क्रेता निम्नलिखित में से कुछ या सभी सेवा एवं/या कुछ अतिरिक्त सेवाएं संविदा में शामिल कर सकता है यदि ये आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है एवं पूर्तिकता निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा।/The purchaser may include in the contract any or all of the following services and/or some additional services, if specified in the Schedule of Requirements and the supplier is required to provide the same:

(क) आपूर्ति दिए गए माल का स्थल पर/एवं/या जहाँ कार्य आरंभ में होना है पर कार्य निष्पादन एवं पर्यवेक्षण/Performance or supervision of on-site and or start-up of the supplied goods,

(ख) आपूर्ति किए जाने वाले माल के समायोजन और/रख रखाव के लिए आवश्यक औसत प्रदान करना।/Furnishing of tools required for assembly and/or maintenance of the supplied goods,

(ग) आपूर्ति किए गए माल की प्रत्येक उपर्युक्त यूनिट के (मद) प्रचालन एवं अनुरक्षण नियम-पुस्तिका प्रदान करना।/Furnishing of a detailed operations and maintenance manual for each appropriate unit of the supplied goods,

(घ) आपूर्ति किए गए माल को पार्टियों द्वारा सहमत के लिए निष्पादन या पर्यवेक्षण या अनुरक्षण एवं/या मरम्मत, करना किन्तु इस सेवा ये पूर्तिकर्ता संविदा के अंतर्गत के किसी वारंटी बाध्यनाथा से मुक्त नहीं होगा।/Performance or supervision or maintenance and or repair of the supplied goods, for a period of time agreed to by the parties, provided that this service shall not relieve the supplier of any warranty obligations under the contract, and

(ङ) आपूर्ति किए गए माल के संयोजन, आरंभन प्रचालन, अनुरक्षण एवं/या मरम्मत के लिए क्रेता के कर्मियों को पूर्तिकर्ता के संयंत्र एवं/या स्थल पर प्रशिक्षण देना।/Training the purchaser's personnel, at the supplier's plant and/or on-site, in assembly, start-up, operation, maintenance and/or repair of the supplied goods.

14.2 यदि पूर्तिकर्ता ने उपर्युक्त आनुपेगिक सेवाओं की कीमत को माल के लिए उद्धृत के कीमत में शामिल नहीं किया है तो इसे अलग से बोली में उद्धृत किया जाएगा एवं यह दर इन्ही सेवाओं के लिए पूर्तिकार द्वारा अन्य पार्टियों पर लगाई गई प्रचलित दर से अधिक नहीं होगी।/Price charged by the supplier for the above mentioned incidental services, if not included in the quoted price for the goods, shall be quoted separately in the bid itself and shall not exceed the prevailing rates, charged to other parties by the supplier for similar services.

15 अतिरिक्त हिस्से पुर्जे / Spare parts

15.1 आवश्यकता अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पूर्तिकार द्वारा निर्मित एवं/या वितरित अतिरिक्त हिस्से पूर्जों से संबंधित निम्नलिखित सभी अथवा किसी भी सामाग्री अधिसूचनाएं एवं जानकारी से पूर्तिकार ली जा

सकती है।/As specified in the Schedule of Requirements, the supplier may be required to provide any or all of the following materials, notifications and information pertaining to spare parts manufactured and/or distributed by the supplier:

(क) ऐसे अतिरिक्त हिस्से पुर्जे जिसका चयन क्रेता, पूर्तिकार से कर सकता है बशर्ते कि यह पूर्तिकार को संविदा के अंतर्गत किसी वारंटी बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगा, एव/Such spare parts as the purchaser may elect to purchase from the supplier, provided that this will not relieve the supplier of any warranty obligations under the contract; and

(ख) अतिरिक्त हिस्से पुर्जे के उत्पादन की समाप्ति के मामले में/In the event of termination of production of the spare parts:

(I) लम्बित समाप्ति के लिए क्रेता को अग्रिम सूचना देना जिससे आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए क्रेता को पर्याप्त समय मिल सके, एवं/Advance notice to the purchaser of the pending termination, in sufficient time to permit the purchaser to procure needed requirements; and

(II) ऐसी समाप्ति का तत्काल अनुसरण करते हुए क्रेता बिना किसी लगात के अतिरिक्त पूर्जों का ब्लूप्रिंट, आरेखन एवं विनिर्देशन देना, यदि मांगा गया हो।/Immediately following such termination, furnishing at no cost to the purchaser, the blueprints, drawings and specifications of the spare parts, if requested.

15.2 माल के उपभोक्ता अतिरिक्त पूर्जों की स्टॉक पर आपूर्ति को आश्वासन करने के लिए पूर्तिकार को पर्याप्त वस्तु सूची रखनी होगी। अतिरिक्त पूर्जों एवं घटकों की आपूर्ति जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी की जाएगी परंतु किसी भी मामले में यह आदेश देने एवं साख-पत्र खोलने के तीन महीनों के अन्दर होना चाहिए।/Supplier shall carry sufficient inventories to assure ex-stock supply of consumable spares for the goods. Other spare parts and components shall be supplied as promptly as possible but in any case within three months of placement of order and opening the letter of credit.

16. वारंटी / Warranty

16.1 जब तक संविदा में अन्यथा उल्लेख न हो पूर्तिकार वारंटी देगा कि संविदा के अंतर्गत आपूर्तित माल नया है इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है वर्तमान का सबसे आधुनिक माडल है एवं इसके डिजाइन एवं पदार्थ में सभी वर्तमान संशोधन दिए गए हैं। पूर्तिकार यह भी वारंटी देगा कि संविदा के अंतर्गत आपूर्तित माल के डिजाइन, पदार्थ (केवल उस स्थिति को छोड़कर, जब क्रेता के विनिर्देशन कें अनुसार डिजाइन को अपनाया गया है एवं/या पदार्थ का उपयोग किया गया है) या कर्म-कौशल से या पूर्तिकार के किसी कार्य या चूक से उत्पन्न होने वाले दोषों, जो इन आपूर्तित माल का भारत की

वर्तमान परिस्थितियों में सामान्य उपयोग करने पर उत्पन्न हो सकते हैं, मुक्त होगा।/The supplier warrants that the goods supplied under the contract is new, unused, of the most recent of current models and incorporate all recent improvements in design and materials unless provided otherwise in the contract. The supplier further warrants that the goods supplied under the contract shall have no defect arising from design, materials (except when the design adopted and or the material used are as per the purchaser's specifications) or workmanship or from any act or omission of the supplier, the may develop under normal use of the supplied goods under the conditions in India.

- 16.2 यदि आवश्यकता अनुसूची में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो संविदा की शर्तों में माल या इसके किसी भाग जैसा की मामला हो, के अंतिम गंतब्य स्थल पर सुपुर्दगी एवं वहा इसके अधिष्ठापन एवं इसे लागू करने के बाद और क्रेता द्वारा इसे स्वीकार करने के बाद 12 (बारह) महीनों तक यह वारंटी वैध होगी या आयातित माल के लिए स्रोत देश में लदाई पन्तन या लदान के स्थान से इसकी लटाई की तारीख के बाद 18 (अट्ठारह) माह 21 (इक्कीस) माह तक इनमे ये जो भी पहले हो, तक यह संविदा वैध होगी।/This warranty shall remain valid for 12 (twelve) months after the goods or any portion there of as the ase may be, have been delivered to the final destination and installed and commissioned at the final destination and accepted by the purchaser, in terms of the contract or for 18 (eighteen) months 21 (twenty one) afrom the date of shipment from the port or place of loading in the source country for imported goods, whichever is earlier, unless specified otherwise in the Schedule of Requirements.The purchaser shall promptly notify the supplier in writing of any claim arising under this warranty.upon receipt of such notice the supplier shall with all reasonable speed or within the period, if specfied in the Schedule of Requirmenta and the contract) repair of replace the replace the defective goods of parts thee of free of cost at the ultimate destination the supplier shall tale over the reptaced parts/good at the time of teir replacement No claim whatsoever shall lie of the purchaser for the peplaced parts/goods theresfter.

क्रेता इस वारंटी के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी दावे की लिखित सूचना तत्काल पूर्तिकार को देगा। इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति के बाद प्रतिकार उचित समय में या निर्धारित अवधि के अंदर (यदि आवश्यकताओं की अनुसूची और संविदा में विनिर्दिष्ट हो) क्रेता पर बिना किसी लागत के अंतिम गंतब्य स्थल पर दोषपूर्ण माल या इसके भागों की मरम्मत करेगा या इसे प्रतिस्थापित करेगा। इनके प्रतिस्थापन के समय पूर्तिकार प्रतिस्थापित भागों/माल का उत्तरदायित्व लेगा। इसके बाद प्रतिस्थापित

भागों/माल से संबंधित किसी भी दावे की जिम्मेदारी क्रेता की नहीं होगी।/Upon receipt of such notice, the supplier shall, with all reasonable speed (or within the period, if specified in the Schedule of Requirements and the contract), repair or replace the defective goods of parts there of, free of cost, at the ultimate destination. The supplier shall take over the replaced parts/goods at the time of their replacement. No claim whatsoever shall lie on the purchaser for the replaced parts/goods thereafter.

16.3 वारंटी अवधि के दौरान किसी भी दोषपूर्ण के दोष में सुधार या किसी माल के प्रतिस्थापन के मामले में इस सर्वाधिक माल की वारंटी अवधि क्रेता की संतुष्टि के लिए सुधार प्रतिस्थापित किए जाने किए जाने की तारीख माल प्रतिस्थापित की तारीख से अगले 12 (बारह) माह की अवधि के लिए वारंटी बढ़ जाएगी।/In the event of any correction of a defect or replacement of any defective material during the warranty period, the warranty for the corrected/replaced material shall be extended to a further period of 12 (twelve) months from the date, such corrected/replaced material starts functioning to the satisfaction of the purchaser.

16.4 यदि पूर्तिकार जिसे सूचना दी गई है, उचित समयावधि के अंदर (या आवश्यकताओं की अनुसूची या संविदा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर) दोष (दोषों) में सुधार नहीं कर पाता तो क्रेता, पूर्तिकार के जोखिम एवं खर्च पर एवं किसी अन्य अधिकार जो संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार के विरुद्ध इसके पास है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आवश्यकता अनुसार ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।/If the supplier, having been notified, fails to remedy the defect(s) within a reasonable period (or within the period, if specified in the Schedule of Requirements and the contract), the purchaser may proceed to take such remedial action as may be necessary, at the supplier's risk and expense and without prejudice to any other rights, which the purchaser may have against the supplier, under contract.

17 भुगतान / Payment

17.1 संविदा में विनिर्दिष्ट मुद्रा/मुद्राओं में भुगतान किया जाएगा। पूर्तिकार अपना दावा (संबंधित दस्तावेजों के साथ, जैसा आवश्यक हो), आवश्यकताओं की अनुसूची एवं संविदा में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त भुगतान प्राधिकारी को भेजेगा। किसी भी भुगतान का दावा करने से पहले पूर्तिकार यह सुनिश्चित करेगा कि इस भुक्तान के दावे से संबंधित सभी संविदा बात बाध्यताएँ विधिवत पूरी कर ली गई है।/The payment shall be made in the currency/currencies specified in the contract. The supplier shall send its claim (with relevant documents, as required) to the appropriate paying authority as specified in the Schedule of Requirements and the contract. Before claiming

any payment, the supplier shall ensure that all the contractual obligations for claiming that payment have been duly fulfilled.

17.2 भुगतान निम्नलिखित तरीके से एवं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।/ The payment shall be made in the following manner and on production of the following documents:

(क) विदेशों से आपूर्तित माल के लिए भुगतान/ Payment for goods supplied from abroad:

(I) पोत लदान पर/ on shipment

संविदा की 90% राशि भारत के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या पूर्तिकार के देश के किसी बैंक में विदेशी पूर्तिकार के पक्ष में क्रेता द्वारा स्वीकार्य अटल साख-पत्र द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर की जाएगी/ 90% of the contract price shall be paid through irrevocable letter of credit established in favour of the foreign supplier in scheduled commercial bank in India or a bank in the supplier's country acceptable to the purchaser, upon submission the following documents:

(क) संविदा की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 10.3 (क) के अनुसार पूर्तिकार द्वारा क्रेता एवं अन्य को भेजे गए फ़ैक्स की प्रमाणित प्रति।/ Certified copy of the fax sent by the supplier to the purchaser and others as per GCC sup-clause 10.3 (a).

(ख) संविदा संख्या, आपूर्तित माल का विवरण, संबंधित मात्रा यूनिट कीमत एवं कुल मूल्य और परेषिती (परेषितियों) का (क) नाम दर्शाता हुआ पूर्तिकार द्वारा हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक।/ Supplier's signed commercial invoice showing contract number, description of the supplied goods, corresponding quantity, unit price and the total value and name(s) of the consignee(s) for the supplied goods.

(ग) माल का विवरण मात्रा संविदा संख्या से संबंधित विवरण आदि का साक्ष्य देने वाले मध्यस्थ/पत्तन प्रेषिती को सौंपे गए फलक के वहन पत्र की मूल एवं स्पष्ट प्रति जिस पर पूर्व भुगतान भाड़ा चिन्हित हो।/ Original clean on board bill of lading marked freight pre-paid consigned to the interim/port consignee evidencing description of the goods, quantities, relevant details about the contract number etc.

(घ) प्रत्येक पैकेज की वस्तुओं की पहचान वाली पैकिंग सूची।/ Packing list, identifying contents of each package.

(ङ) दो प्रतियों में बीमा पॉलिसी अथवा प्रमाण पत्र जो बीमा पृष्ठांकन हो और जिसके लिए ढावा भारत में साख पत्र की मुद्रा में भुगतान हो/ Insurance policy or certificate in duplicate endorsed in blank with claims payable in India in the currency of the letter of Credit.

(च) विनिर्माता/पूर्तिकार का वारंटी प्रमाण पत्र एवं पूर्तिकार की कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट।/Manufacturer's/supplier's warranty certificate and supplier's factory inspection report.

(छ) क्रेता द्वारा नामांकित निरीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किया गया पूर्व प्रेषण निरीक्षण प्रमाण पत्र यदि ऐसा विनिर्दिष्ट हो।/Pre-dispatch inspection certificate issued by the purchaser's nominated inspection agency, if so specified.

(ज) **उद्भव प्रमाण पत्र/Certificate of origin.**

(झ) संविदा की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 10.3 (क) की मदों में इस बात की पुष्टि करने वाला पूर्तिकार का प्रमाण-पत्र कि सभी संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक दस्तावेज भेजा जा चुका है।/Supplier's certificate confirming that the required document have been sent to all concerned in items of GCC sub-clause 10.3(a).

(ञ) पूर्तिकार का प्रमाण पत्र जो पुष्टि करता हो कि बीजक में लिखी गई रकम संविदा की शर्तों के अनुसार सही है एवं इस भुगतान के दावे के लिए संविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें लागू की गई हैं।/Supplier's certificate confirming that the amounts shown in the invoice are correct in terms of the contract and that all the terms and conditions of the contract have been complied with for claiming this payment.

(ट) आवश्यकताओं की अनुसूची एवं संविदा में विनिर्दिष्ट कुछ अन्य दस्तावेज एवं/या उपर्युक्त दस्तावेजों में आशोधन।/Any other document(s) and/or modification of above documents specified in the Schedule of Requirements and the contract.

(II) **अंतिम स्वीकृति पर/on final acceptance**

प्राप्त माल की संविदा कीमत की 10% राशि भुगतान दावे के साथ बोली संबंधी दस्तावेजों के-----खण्ड में दिए गए प्रोफार्मा में क्रेता या क्रेता द्वारा नामांकित प्रतिनिधि द्वारा जारी स्वीकृति प्रमाण पत्र पर माल प्राप्त प्रस्तुत करने पर माल प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के अंदर दे दी जाएगी।/10% of the contract price of goods received shall be paid within 30 (Thirty) days of receipt of goods on submission of the claim supported by the acceptance certificate issued by the purchaser or the purchaser's nominated representative in the proforma given in section----- of the bidding documents.

(III) **एजेंसी कमीशन का भुगतान/ Payment of agency commission**

दावा प्रस्तुत करने के 30 दिन के भीतर भारतीय मुद्रा में किया जाएगा भुगतान दावे के साथ क्रेता का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न होगा कि माल की सुपुर्दगी कर दी गई है विदेशी पूर्तिकार को पूरा 100% भुगतान कर दिया गया है। एवं इस भुगतान के दावे के लिए पूर्तिकार एवं इसके एजेंट द्वारा

सभी संविदा बाध्यताएं पुरी कर ली गई है। इसका भुगतान (एजेंसी कमीशन के लिए साख पत्र द्वारा नहीं किया जाएगा, अपितु संविदा में विनिर्दिष्ट क्रेता के भुगतान प्रधिकारी द्वारा दिया जाएगा।/ Payment shall be made in Indian Rupees of within 30(thirty) days of presentation of claim supported by a certificate from the purchaser confirming that the goods have been delivered, full 100% payment has been made to the foreign supplier and all the contractual obligations, have been performed by the supplier and its agent for claiming this payment. This payment (towards agency commission) will be made by the purchaser's paying authority specified in the contract and not through Letter of Credit.

(ख) **भारत से आपूर्तित माल के लिए भुगतान/ payment for goods dupplied from india**

संविदा में विनिर्दिष्ट क्रेता के भुगतान प्रधिकारी द्वारा भुगतान कि साख-पत्र द्वारा भारतीय रूपये में निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा।/ Payment shall be made in Indian rupees by the purchaser's paying authority, as specified in the contract (and not through Letter of Credit),in the following manner:

(i) **सुपुर्दगी पर/ on delivery**

प्रेषिती द्वारा माल की प्राप्ति पर एवं भुगतान प्रधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर संविदा कीमत की 90% राशि का भुगतान किया जाएगा।/ 90% of the contract price shall be paid on receipt of the goods by the consignee and upon submission of following documents to the paying authority:-

- (क) पूर्तिकार का बीजक पीस पर संविदा, माल विवरण, माल यूनिट कीमत एवं कुल राशि का उल्लेख होगा/ The supplier's invoice showing contract number, description of goods, quantity, unit price and the total amount;
- (ख) रेलवे रसीद एवं सुपुर्दगी टिप्पणी/ Railway receipt or Delivery note'
- (ग) प्रत्येक पैकेज की वस्तुओं की पहचान बनाने वाली पैकिंग सूची/ Packing list identifying contents of each package;
- (घ) बीमा प्रमाण पत्र/ Insurance certificate;
- (ङ) विनिर्माता/ पूर्तिकार का वारंटी प्रमाण पत्र/ Manufacture's/Supplier's warranty certificate;
- (च) क्रेता द्वारा नामांकित निरीक्षण एजेंसी द्वारा जारी पूर्व-प्रेषण निरीक्षण प्रमाण-पत्र यदि ऐसा विनिर्दिष्ट हो एवं पूर्तिकार द्वारा कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट/ Pre-dispatch inspection certificate issued by the purchasers nominated inspection agency, if so specified and the supplier's factory inspection report.

- (छ) उद्भव प्रमाण पत्र / Certificate of origin.
- (ज) प्रेषिती द्वारा जारी संबंधित सुपुर्दगी के लिए अन्तिम प्राप्ति का प्रमाण पत्र एवं / Provisional receipt certificate for the corresponding delivery, issued by the consignee and
- (झ) आवश्यकताओं की अनुसूची एवं संविदा में विनिर्दिष्ट कुछ अन्य दस्तावेजों आशोधन। / Any other document(s) and/or modification of above documents specified in the Schedule of Requirements and the contract.

(II) अंतिम स्वीकृति पर / On final acceptance

संविदा कीमत की शेष 10% राशि का भुगतान, इसके दावे के साथ क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा जारी बोली संबंधी दस्तावेज के ----- खण्ड में दिए गए प्रोफार्मा में संबंधित सुपुर्दगी के लिए अंतिम स्वीकृति प्रमाण-पत्र का विधिवत प्रस्तुत करने के बाद 30 (तीस) दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। / The remaining 10% of the contract price shall be paid to the supplier with 30(thirty) days of receipt of its claim, duly supported by the final acceptance certificate for the corresponding delivery issued by the purchaser's representative in the proforma given in section----- of the bidding documents.

- (ग) आनुषंगिक सेवाओं एवं पर्यवेक्षण का भुगतान / Payment for incidental services and supervision:

यदि आनुषंगिक सेवाओं एवं पर्यवेक्षण की अलग से आवश्यकता हो तो इसे आवश्यकताओं की अनुसूची एवं संविदा में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसी सेवाओं एवं पर्यवेक्षण के लिए लागू भुगतान की शर्तें भी इसमें विनिर्दिष्ट की जाएगी। / The Incidental services and supervision, if required separately, will be specified in the Schedule of Requirements and in the contract. The payment terms applicable for such services and supervision will also be specified therein.

17.3 साख-पत्र पर कार्रवाई / Operation of letter of Credit

(I) साख पत्र के माध्यम से होने वाले भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य परिषद् के दस्तावेजी साख पत्र संबंधी प्रचलित एक समान प्रयोग एवं पद्धति के अधीन किए जाएंगे। / The payments effected through letter or Credit, shall be subject to the latest Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, of the International Chamber of Commerce;

(II) यदि पूर्तिकार द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि साख-पत्र की पुष्टि की जाएगी, तो इसका प्रभार पूर्तिकार के लेखा में डाला जाएगा। / If requested specifically by the supplier, the letter of credit will be confirmed, but the cost for the same shall be charged to the supplier's account.

(III) यदि किसी कारण बस जो क्रेता से संबंधित न हो, साख-पत्र के विस्तार या उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता हो तो इसका प्रभार पूर्तिकार द्वारा उठाया जाएगा। / If the letter of credit is

required to be extended/reinstated for reasons not attributable to the purchaser, the charges there of shall be to the supplier's account.

18 कीमत / Prices

18.1 संविदा के अन्तर्गत पूर्तिकार द्वारा आपूर्तित माल के लिए एवं दी गई सेवाओं के लिए लगाई गई कीमत, आवश्यकताओं की अनुसूची में प्रधिकृत किसी कीमत के समायोजन के अलावा पूर्तिकार द्वारा इसकी बोली में उद्धन की गई कीमत से अलग नहीं होनी चाहिए। / Prices charged by the supplier for the goods supplied and the services performed under the contract shall not vary from the prices quoted by the supplier in its bid with the exception of any price adjustment authorized in the Schedule of Requirements.

19 संविदा में संशोधन / Modification of contract

19.1 संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 31 के अनुसरण में क्रेता किसी भी समय लिखित में पूर्तिकार को दिए गए आदेश के द्वारा संविदा के सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकता है। / The purchaser may at any time, by a written order given to the supplier pursuant to GCC clause 31, make changes and modifications within the general scope of contract in any one or more of the following:

- (क) आरेखन डिजाइन या विनिर्देशन जहां संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले माल का निर्माण विनिर्दिष्ट रूप से क्रेता से क्रेता द्वारा किया जाना हों। / Drawings, designs or specifications, where goods to be supplied under the contract are to be specifically manufactured for the purchaser
- (ख) पैकिंग का तरीका। / The mode of packing,
- (ग) प्रेषण का साधन। / The mode of despatch
- (घ) सुपुर्दगी का स्थान। / The place of delivery,
- (ङ) पूर्तिकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं एवं/या / The services to be provided by the supplier and/or
- (च) संविदा के कुछ अन्य क्षेत्रों में जो मामले के गुणावगुणों पर निर्भर हों। / Any other area(s) of the contract, depending on the merits of the case.

19.2 यदि संविदा के अंतर्गत किसी उपबन्ध में परिवर्तन से लागत में या संविदा के निष्पादन के लिए पूर्तिकार को लगने वाले समय में कोई कमी या वृद्धि होती है तो संविदा कीमत या संविदा की सुपुर्दगी अनुसूची या दोनों में समायुक्त समायोजन किया जाएगा तदनुसार संविदा में संशोधन किया जाएगा। इस खण्ड के अंतर्गत समायोजन के लिए पूर्तिकार द्वारा किया गया कोई भी दावा संविदा में क्रेता द्वारा किए गए संशोधन/परिवर्तन की प्राप्ति के 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर किया जाना चाहिए। / If any such change causes an increase or decrease in the cost of, or in the time required for the supplier's

performance of any provision under the contract, and equitable adjustment shall be made in the contract price or contract delivery schedule or both, and the contract shall be amended accordingly. Any claim by the supplier for adjustment under this clause must be asserted within 21 (twenty-one) days from the date of the supplier's receipt of the purchaser's amendment/modification of the contract.

19.3 संविदा की सामान्य शर्तों के उप खण्ड 19.1 एवं 19.2 के अधीन दोनों परिवर्तनों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संशोधन के आलावा, संविदा की शर्तों में कोई भी परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा।/ Subject to GCC sub-clauses 19.1 and 19.2, no variation in or modification of the terms of the contract shall be made except by written amendment signed by both the parties.

20. **समनुदेशन / Assignment**

20.1 क्रेता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना पूर्तिकार संविदा के अंतर्गत इसके संपूर्ण या इसके किसी भाग के निष्पादन का कार्य किसी दूसरे को नहीं सौपेगा।/ The supplier shall not assign, in whole or in part, its obligations to perform under the contract, except with the purchaser's prior written consent.

21 **उप संविदाएं / Sub Contracts**

21.1 यदि बोली में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो पूर्तिकार लिखित में क्रेता को संविदा के अंतर्गत दिए गए सभी उप संविदाओं की सूचना देगा। ऐसी अधिसूचनाएं जो बोली के साथ या बाद में दी जाती हैं संविदा के अंतर्गत को किसी उत्तरदायित्व या बाध्यता, जो कुछ भी हो से मुक्त नहीं करेगी।/ The supplier shall notify the purchaser in writing of all sub contracts awarded under the contract, if not already specified in its bid. Such notifications, in its original bid or later, shall not relieve the supplier ITomi any liability or obligation, whatsoever, under the contract.

21.2 केवल खरीदी गई मदों एवं उप-समान्वायोजन के लिए उपसंविदा दी जाएगी।/ Subcontract shall be only for bought-out items and sub-assemblies.

21.3 उपसंविदाओं को संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 3 के उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए।/ Subcontracts must comply with the provisions of GCC clause 3.

22 **पूर्तिकार के निष्पादन में विलंब / Delay in the supplier's performance**

22.1 पूर्तिकार द्वारा माल की सुपुर्दगी एवं सेवाओं का निष्पादन "आवश्यकताओं की अनुसूची" में क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट समय-अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।/ Delivery of the goods and performance of the services shall be made by the supplier in accordance with the time schedule specified by the purchaser in the "Schedule of Requirements".

22.2 संविदा को सामान्य शर्तों के खण्ड 25 में दिए गए तथ्यों के आलावा पूर्तिकार द्वारा इसकी संविदा बात सुपुर्दगी बाध्याताओं के अनुक्षण में किसी भी प्रकार के बिना कारण के विलम्ब से, पूर्तिकार को निम्नलिखित में से कुछ या सभी दण्ड दिए जा सकते हैं।/Except as provided under GCC clause 25, any unexcused delay by the supplier in maintaining its contractual delivery obligations shall render the supplier liable to any or all of the following sanctions:

परिनिर्धारित नुकसानी का अधिरोपण इसके निष्पादन प्रतिभूति पर कब्जा एवं/या त्रुटि के करण संविदा की समाप्त /imposition of liquidated damages, forfeiture of its performance security and/or termination of the contract for default

22.3 यदि संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी समय, पूर्तिकार या इसके उप-संविदाकार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिन से माल की समय से सुपुर्दगी एवं सेवाओं के निष्पादन में बाधा आ रही हो, तो पूर्तिकार तत्काल लिखित में विलम्ब के तथ्यों इसकी संभावित अवधि एवं इसके कारण (कारणों) से क्रेता को सूचित करेगा। पूर्तिकार से सूचना प्राप्ति की प्राप्ति के बाद क्रेता, जितनी जल्दी संभव हो परिस्थिति का मूल्यांकन करेगा एवं अपने विवेक पर पूर्तिकार के निष्पादन के समय में वृद्धि कर सकता है, इस मामले में सुपुर्दगी अवधि में विस्तार, संविदा में संशोधन जारी करके अनुसमर्थन किया जाएगा।/If at any time during the performance of the contract, the supplier or its subcontractors) should encounter conditions hindering timely delivery of the goods and performance of the services, the supplier shall promptly notify the purchaser in writing of the fact of the delay, its likely duration and its causes(s) . After the receipt of the supplier's notice, the purchaser, as soon as practicable, shall evaluate the situation and may at its discretion extend the supplier's time for performance, in which case the extension of the delivery period shall be ratified by issuing an amendment to the contract.

22.4 सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के बाद पूर्तिकार माल का प्रेषण नहीं करेगा/प्रेषण के पहले पूर्तिकार को क्रेता से सुपुर्दगी अवधि के विस्तार के लिए आवेदन करना होगा एवं अनुमति प्राप्त करनी होगी/यदि पूर्तिकार सुपुर्दगी अवधि में विस्तार प्राप्त किए बिना माल का प्रेषण करता है, तो यह उसके स्वयं के जोखित पर होगा एवं ऐसी आपूर्ति एवं/या इससे संबंधित अन्य व्यय के भुगतान के लिए किये गए किसी भी दावों के लिए क्रेता उत्तरदायी नहीं होगा।/The supplier shall not despatch the goods after expiry of the delivery period. The supplier is required to apply to the purchaser for extension of delivery period and obtain the same before despatch. In case the supplier despatches the goods without obtaining an extension, it would be doing so at its own risk and no claim for payment for such supply and/or any other expense related to such supply shall lie against the purchaser.

23 परिनिर्धारित नुकसानी / Liquidated damages

23.1 संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड के खण्ड 25 के अधीन यदि पूर्तिकर्ता, संविदा में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर माल के कुछ भाग या पूरा माल सुपुर्द करने या सेवाओं का निष्पादन करने में असफल रहता है तो संविदा के अंतर्गत इसके अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्रेता बिलंबित माल या सेवाओं की संविदा कीमत की 10% (दस प्रतिशत) की अधिकतम कटौती तक प्रत्येक सप्ताह के बिलंब या उसके किसी भाग के विलंब के लिए अनिष्पादित सेवाओं या बिलंबित माल की सुपुर्दगी कीमत के 0.5% (आधा प्रतिशत) के समतुल्य राशि का परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में कटौती करेगा। जब यह कटौती अधिकतम सीमा तक पहुंच जाएगी, तो यदि संविदा पहले समाप्त नहीं की गई तो क्रेता संविदा की समाप्ति पर विचार कर सकता है।

इसके अतिरिक्त सुपुर्दगी और/या निष्पादन में उपर्युक्त उल्लिखित विलंब की अवधि के दौरान किसी भी आधार पर कीमत में वृद्धि के लिए संविदा के किसी उपबंध के होते हुए भी पूर्तिकार, विलम्ब की अवधि के दौरान कीमत या लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने के लिए हकदार नहीं होगा/परंतु क्रेता विलंब की उस अवधि के दौरान किसी भी आधार पर कीमत और लागत में होने वाली किसी कमी के लाभ के लिए हकदार होगा।/Subject to GCC clause 25, if the supplier fails to deliver any or all the goods or perform the services within the time period(s) specified in the contract, the purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the contract, deduct from the contract price, as liquidated damages, a sum equivalent to 0.5% (half percent) of the delivered price of the delayed goods or unperformed services for each week of delay or part there of until actual delivery or performance, up to a maximum deduction of 10% (ten percent) of the delayed goods' or services' contract price. Once the maximum is reached, the purchaser may consider termination of the contract, if the same have not been terminated already. Further, during the above mentioned delayed period of supply and/ or performance, the supplier, notwithstanding any stipulation in the contract for increase in price for any ground, shall not be entitled to any increase in price and cost, whatsoever, which take place during the period of delay. But, nevertheless, the purchaser shall be entitled to the benefit any decrease in price and cost on any ground during that period of delay.

24 चूक होने पर समाप्ति / Termination for default

24.1 यदि संविदा में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर या संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 22 के अनुसरण में क्रेता द्वारा संविदा की समयावधि में दिए गए विस्तार के अंदर पूर्तिकार माल के कुछ भाग या पूरे माल की सुपुर्दगी करने में या कोई अन्य संविदा गत बाध्यता (बाध्यताओं) का निष्पादन करने में असफल

रहता है तो क्रेता, सविदा भंग करने के अन्य किसी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना चूक की लिखित नोटिस पूर्तिकार को भेजकर पूरी सविदा या इसके किसी भाग को समाप्त कर सकता है।/The purchaser, without prejudice to any other remedy for breach of contract, may, by written notice of default sent to the supplier, terminate the contract in whole or in part, if the supplier fails to deliver any or all of the goods or fails to perform any other contractual obligation(s) within the time period specified in the contract, or within any extension there of granted by the purchaser pursuant to GCC clause 22.

24.2 क्रेता द्वारा पूरी सविदा या किन्ही भागों में सविदा समाप्त करने के मामले में सविदा की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 24.1 के अनुसरण में इन निबधनों एवं शर्तों पर और उस विधि से सुपुर्द न किए माल और/या सेवाओं के समान माल और/या सेवाओं की वसूली कर सकता है जिसे वह उचित समझे। इस प्रकार के एक समान माल और/या सेवाओं की बढ़ी हुई लागत के लिए पूर्तिकार पर क्रेता का दायित्व होगा। तथापि पूर्तिकार पर समाप्त न की गई सविदा के भाग का निष्पादन जारी रख सकता है।/In the event the purchaser terminates the contract in whole or in part, pursuant to GCC sub-clause 24.1, the purchaser may procure, upon such terms and conditions and in such manner as it deems appropriate, goods and/or services similar to those undelivered and the supplier shall be liable to the purchaser for any excess cost for such similar goods and /or services. However, the supplier shall continue to perform the contract to the extent not terminated.

25 अपरिहार्य घटना / Force Majeure

25.1 सविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 22, 23 और 24 के उपबन्धों के होते हुए भी, क्रेता, पूर्तिकार की निष्पादन प्रतिभूति, प्ररिनिर्धारित नुकसानी को जब्त और चूक के लिए सविदा समाप्त नहीं कर सकता, यदि और कुछ सीमा तक सविदा के अंतर्गत निष्पादन में विलम्ब या इसकी बाध्यताओं के निस्तादन में असफल होने का कारण कोई अपरिहार्य घटना हो।/Notwithstanding the provisions of GCC clause 22,23 and 24, the supplier shall not be liable for, forfeiture of its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that its delay in performance or other failure to perform its obligations under the contract is the result of an event of Force Majeure

25.2 इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "अपरिहार्य घटना" का अर्थ उस घटना से है जो पूर्तिकार के नियन्त्रण से बाहर है और जिसमें पूर्तिकार की चूक या उपेक्षा शामिल नहीं हैं तथा जो पूर्व-दृष्टाय नहीं है। इन घटनाओं में क्रेता की प्रभुता क्षमता में उसके कार्यकलाप, कारण या क्रेति, आग लगाना, बाढ़ आना,

महामारी होना संगरोध प्रतिबंध एव भाड़ा प्रतिबंध शामिल है परंतु ये केवल इन्ही घटनाओं तक सीमित नहीं है।/For purpose of this clause, “Force Majeure” means an event beyond the control of the supplier and not involving the supplier’s fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not restricted to, acts of the purchaser in its sovereign capacity, wars or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.

- 25.3 यदि कोई अपरिहार्य घटना की स्थिति आती है तो पूर्तिकार इन परिस्थितियों और इनके कारणों की लिखित सूचना तत्काल क्रेता को देगा। जब तक क्रेता लिखित में अन्यथा कोई निदेश नहीं देगा, तब तक जहां तक उचित रूप से व्यवहारिक हो प्रतिकार संविदा के अंतर्गत इसकी बाध्यताओं का निष्पादन जारी रख सकता है और निष्पादन के लिए अपरिहार्य घटना से प्रभावित न होने वाले सभी उचित वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर सकता है।/If a Force Majeure situation arises, the supplier shall promptly notify the purchaser in writing of such conditions and the cause there of. Unless otherwise directed by the purchaser in writing, the supplier shall continue to perform its obligations under the contract as far as reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

26 **दिवालियापन पर संविदा की समाप्ति / Termination for insolvency**

- 26.1 यदि पूर्तिकार दिवालिया हो जाता है या अन्यथा रूप से दिवालियन की स्थिति में आ जाती है, तो क्रेता बिना किसी क्षतिपूर्ति दिए पूर्तिकार को एक लिखित सूचना देकर संविदा को समाप्त कर सकता है बशर्ते कि इस समाप्ति से उस कार्रवाई या उपाय के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या प्रभाव न पड़े जो क्रेता के पास है और/या जो इसके बाद क्रेता के पास होगा।/If the supplier becomes bankrupt or otherwise insolvent, the purchaser may terminate the contract by giving written notice to the supplier, without any compensation to the supplier, provided, that such termination will not prejudice or affect any right of action or remedy which has accrued and/or will accrue thereafter to the purchaser.

27 **सुविधा के लिए संविदा की समाप्ति / Termination for convenience**

- 27.1 क्रेता अपनी सुविधा के लिए पूर्तिकार को एक लिखित सूचना देकर किसी भी समय संविदा समाप्त कर सकता है। संविदा समाप्ति की सूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्रेता की सुविधा के लिए संविदा समाप्त की जा रही है। किस परिणाम तक संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार का निष्पादन समाप्त किया जा रहा है और वह तारीख जिससे यह समाप्ति प्रभावी मानी जाएगी।/The purchaser, by written notice to the supplier, may terminate the contract, in whole or in part, at any time for its convenience. The notice of termination shall specify that the termination is for the

purchaser's convenience, the extent to which performance of the supplier under the contract is terminated, and the date with effect from which such termination becomes effective.

27.2 पूर्तिकार द्वारा संविदा समाप्ति की सूचना प्राप्त करने के बाद वह माल जो अगले 30 (तीस) दिनों के अंदर लदान के लिए पूर्ण एवं तैयार है क्रेता द्वारा संविदा की शर्तों एवं कीमतों पर स्वीकार किए जाएंगे। शेष माल के लिए क्रेता निम्नलिखित का चयन कर सकता है।/The goods that the complete and ready for shipment within 30 (thirty) days after the supplier's receipt of notice of termination shall be accepted by the purchaser at the contract terms and prices. For the remaining goods, the purchaser may elect:

- (क) माल के किसी भाग को संविदा की शर्तों एवं कीमतों पर पूर्ण एवं सुपुर्द करना एवं/या/to have any portion completed and delivered at the contract terms and prices; and/or
- (ख) शेष भाग को निरस्त करना और अर्ध पूर्ण माल और सेवाओं के लिए एवं संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पूर्तिकार द्वारा पहले से ही बना लिए गए सामानों या पूर्जों के लिए पूर्तिकार को आपसी करार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करना।/to cancel the remainder and pay to the supplier an agreed amount for partially completed goods and sendees and for materials and parts already procured by the supplier for fulfilling the contractual obligations.

28 विवादों का समाधान / Resolution of disputes

28.1 यदि क्रेता और पूर्तिकार के बीच, संविदा से संबंधित या संविदा से पढ़े किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद उत्पन्न होगा तो पार्टियों में पूर्ण रूप से आपसी सलाह के द्वारा इसके समाधान की पूरी कोशिश करेंगे।/If any disputes or difference of any kind shall arise between the purchaser and the supplier in connection with or arising out of the contract, the parties shall make every effort to resolve the same amicably by mutual consultations.

28.2 यदि तीस (30) दिनों के बाद भी पार्टियां आपसी सलाह से ऐसे विवाद या मतभेद को समाधान करने में असफल हो जाती है तो क्रेता या पूर्तिकार इसे माध्यस्थ के लिए भेजने संबंधी अपनी इच्छा का नोटिस दूसरी पार्टी को देगा, जैसा इसमें इसके बाद उपबंधित है एवं इस मामले में तब तक माध्यस्थ प्रारंभ नहीं होगा जब तक ऐसी नोटिस नहीं दी जाती।/If after thirty (30) days, the parties have failed to resolve their dispute or difference by such mutual consultation, then either the purchaser or the supplier may give notice to the other party of its intention to commence arbitration, as hereinafter provided, as to the matter in dispute, and no arbitration in respect of this matter may be commenced unless such notice is given.

- 28.3 कोई विवाद या मतभेद का, जिसके संबंध में संविदा, की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 28.2 के अनुसार माध्यस्थम प्रारंभ करने की इच्छा का नोटिस दिया गया है, अंतिम रूप से माध्यस्थम द्वारा सामाधान किया जाएगा। माध्यस्थम का आरंभ संविदा के अन्तर्गत माल की सुपुर्दगी से पहले या बाद में हो सकता है।/ Any dispute or difference, in respect of which a notice of intention to commence arbitration has been given in accordance with GCC sub-clause 28.2, shall be finally settled by arbitration. Arbitration may be commenced prior to or after delivery of goods under the contract.
- 28.4 संविदा की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 28.3 के अनुसरण में लागू होने वाली विवाद सामाधान संबंधी क्रिया विधि निम्नलिखित होगी।/ The dispute resolution mechanism to be applied pursuant to GCC sub clause 28.3 shall be as follows:-
- (क) यदि क्रेता और पूर्तिकार के बीच संविदा के संबंध में या संविदा से कोई भी विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो इसका सामाधान भारतीय माध्यस्थम एवं सुलभ अधिनियम 1996 के द्वारा किया जाएगा। माध्यस्थम अधिकरण में तीन मध्यस्थ होंगे, जिसमें एक-एक नियुक्ति क्रेता और पूर्तिकार द्वारा की जाएगी। पार्टी द्वारा नियुक्ति इन दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ को चुना जाएगा। यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थों की नियुक्ति की तारीख के तीस दिनों की अवधि के अंदर पार्टी द्वारा नियुक्त में दो मध्यस्थ किसी गत्यव्य पर नहीं पहुंच पाते तो, अगले मध्यस्थ की नियुक्ति भारतीय माध्यस्थम परिषद् या इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।/ In the case of a dispute or difference arising between the purchaser and the supplier relating to any matter arising out of or connected with the contract, such disputes or difference shall be settled in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators, one each to be appointed by the purchaser and the supplier. The third arbitrator shall be chosen by the two arbitrators so appointed by the parties and shall be chosen by the two arbitrators so appointed by the parties and shall act as presiding arbitrator. In case of failure of the two arbitrs appointed by the parties to reach upo a consensus within a period of thirty days from the appointment of the arbitrator appointed subsequently, the presiding arbitrator shall be appointed by the Indian Council of Arbitration or President of the Institution of Engineers (India).
- (ख) मध्यस्थों के बहुमत से लिया गया निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टियों इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगी।/ The decision of majority of arbitrators shall be final and binding upon both the parties.
- (ग) माध्यस्थम कार्यवाही की लागत और व्यय का भुगतान, माध्यस्थम अधिकरण के निर्णयानुसार किया जाएगा। तथापि इस कार्यवाही की तैयारी प्रस्तुतिकरण आदि के संबंध में प्रत्येक पार्टी पर आय व्यय का वहन और पार्टी साथ ही पार्टी द्वारा या इनकी ओर से नियुक्त किए गए माध्यस्थम को देय फीस एवं

व्यय का भुगतान भी प्रत्येक पार्टी द्वारा किया जाएगा।/The cost and expense of the arbitration proceedings will be paid as determined by the arbitral tribunal. However, the expenses incurred by each party in connection with the preparation, presentation etc. of its proceedings as also fees and expenses paid to the arbitrator appointed by such party or on its behalf shall be borne by each party itself.

- 28.5 तथापि, यदि संविदा का मूल्य 15 लाख रूपए (150000/-रु) या इससे कम है तो इससे संबंधित विवाद या मतभेद का समाधान एक माध्यस्थम् द्वारा किया जाएगा। एक मात्र मध्यस्थ की नियुक्ति दोनों पार्टियों के बीच परस्पर करार के द्वारा की जाएगी। यदि किसी भी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को इस करार के लिए भेजे गए अनुरोध की प्राप्ति के बाद, 30 (तीस) दिनों के अंदर दोनों पार्टियां माध्यस्थसम् के करार पर सहमत नहीं हो पाती तो किसी एक पार्टी के अनुरोध पर, माध्यस्थसम् की नियुक्ति भारतीय माध्यस्थम् परिषद या इस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी।/However, where the value of the contract is Rs. 15 lakhs (Rs.one and a half million) and below, the disputes or differences arising in it shall be referred to a sole arbitrator. The sole arbitrator shall be appointed by mutual agreement between the parties. If the parties fail to agree on the arbitrator within 30 (thirty) days from the receipt of a request by one party from the other party to so agree, the appointment shall be made upon request of a party, by the Indian Council of Arbitration or the President of the Institution of Engineers (India)
- 28.6 माध्यस्थल का स्थान वही होगा जहां से संदिवा जारी की गई थी।/The venue of arbitration shall be the place from where contract is issued.

29 संविदा की भाषा / Governing language

- 29.1 संविदा अंग्रेजी भाषा में लिखी जाएगी। संविदा से संबंधित अन्य दस्तावेज और पार्टियों के बीच होने वाले सभी पत्र-व्यवहार, अंग्रेजी में ही किया जाएगा।/The contract shall be written in English language. All correspondence and other documents pertaining to the contract, which the parties exchange, shall also be written in English.

30 अनुप्रयुक्त विधि / Application law

- 31.1 संविदा के संबध में किसी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया गया नोटिस लिखित में या केवल, टेलेक्स अथवा फेसिमाइल द्वारा भेजा जाएगा और लिखित में, आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पते से पुष्ट किया जाएगा।/ Any notice given by one party to the other pursuant to the contract shall be sent in writing or by cable, telex or facsimile and confirmed in writing to the addresses specified in the Schedule of Requirement.

31.2 नोटिस सुपुर्द किए जाने की तारीख से या नोटिस की प्रभावी तारीख से इनमें से जो भी बाद में हो प्रभावी होगा।/A notice shall be effective when delivered or on the notice's effective date, whichever is later.

32 कर और शुल्क / Taxes and duties

32.1 भारत के बाहर अधिरोपित किए गए सभी कर स्टाफ शुल्क, लाइसेंस शुल्क और अन्य इसी प्रकार की उगाही के लिए विदेश पूर्तिकार पूर्णत उत्तरदायी होगा।/A foreign supplier shall be entirely responsible for all taxes, stamp duties, license fees and other such levies imposed outside India.

32.2 संविदा के माल का क्रेता को सुपुर्द होने तक, सभी कर शुल्क, लाइसेंस शुल्क इत्यादि के लिए स्थानीय पूर्तिकार पूर्णतः उत्तरदायी होगा।/Local supplier shall be entirely responsible for all taxes, duties license fees, etc. incurred until delivery of the contracted goods to the purchaser.

32.3 अन्य अनुदेश यदि कोई हो आवश्यकताओं की अनुसूची में यथा उपबंधित होंगे।/Further instruction if, any, shall be as provided in the Schedule of Requirements.